उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग
हरिद्वार–249404

संख्या : 326 / 81 / 06 / डी0आर0 / (मा0शि0) / सेवा–1 / 2023–24 दिनांक :: 24 मार्च, 2025

<u>विज्ञप्ति</u>

<u>उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग 'समूह–ग') सेवा (सामान्य शाखा एवं महिला शाखा) परीक्षा–2024</u>

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तराखण्ड शासन, माध्यमिक शिक्षा विभाग (अनुभाग–1) के कार्यालय ज्ञाप संख्याः–294 / XXIV-B-1 / 2022–32(02) / 2018, दिनांक 18 मार्च, 2025 द्वारा 'उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग) (संशोधन) सेवा नियमावली, 2025' प्रख्यापित की गयी है। मा0 आयोग द्वारा उक्त संशोधित नियमावली पर विचार किया गया। सम्यक् विचारोपरान्त मा0 आयोग द्वारा लिये गये निर्णयानुसार उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग, 'समह–ग') सेवा (सामान्य शाखा एवं महिला शाखा) परीक्षा–2024 के सापेक्ष दिनांक 27 अप्रैल, 2025 को निर्धारित स्क्रीनिंग परीक्षा अग्रिम आदेशों तक स्थगित की जाती है।

Sd/-
(अवधेश कुमार सिंह)
प्रभारी सचिव।